भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1202
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

कच्चे इस्पात का उत्पादन और आयात

1202. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:
क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक है और मार्च, 2024 तक वित्तीय वर्ष में मिश्र धातु का निवल आयातक भी बन गया है और वर्तमान वर्ष में भी यह प्रवृत्ति जारी रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष में अप्रैल और अगस्त के दौरान चीन से तैयार इस्पात का आयात सात वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जबकि कुल निर्मित इस्पात का आयात छह वर्षों के उच्चतम स्तर 3.7 मीट्रिक टन तक पहुंच गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या भारतीय इस्पात संघ ने सरकार से घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण हेतु उपाय करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) वित्त वर्ष 2023-24 में 144.3 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत 7.49 मिलियन टन निर्यात और 8.32 मिलियन टन आयात के साथ तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक था। चालू वित्त वर्ष अर्थात अप्रैल-अक्टूबर, 2024-25 (अनंतिम) के दौरान, तैयार इस्पात का आयत और निर्यात क्रमश: 5.77 मिलियन टन और 2.75 मिलियन टन था।

(ख) विगत सात वित्तीय वर्षों में अप्रैल-अगस्त के दौरान चीन से तैयार इस्पात का आयात निम्नानुसार सारणी में निम्नानुसार दिया गया है:-

जारी....2/-

अवधि	तैयार इस्पात का आयात (मिलियन टन में)	
	चीन से आयात	कुल
अप्रैल-अगस्त, 2018-19	0.64	3.33
अप्रैल-अगस्त, 2019-20	0.59	3.45
अप्रैल-अगस्त, 2020-21	0.39	1.67
अप्रैल-अगस्त, 2021-22	0.36	1.96
अप्रैल-अगस्त, 2022-23	0.47	2.06
अप्रैल-अगस्त, 2023-24	0.86	2.78
अप्रैल-अगस्त, 2024-25*	1.13	3.72
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम		

(ग) और (घ): जी हाँ। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करके एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i केंद्रीय बजट 2024 में, फैरो-निकेल और मॉलिब्डेनम अयस्क और सांद्रण (कान्सन्ट्रेट) जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है, पर आधारभूत शुल्क (बीसीडी) को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण के लिए फेरस स्क्रैप और विशिष्ट कच्चा माल पर बीसीडी से संबंधित छूट दिनांक 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

ii. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई और एसपी) नीति का कार्यान्वयन करना।

iii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ किया जाना। विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण सहित पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 29,500 करोड़ रुपये है।

iv. घरेलू इस्पात उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए आयातों की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 में सुधार करना।

जारी...3/-

v. घरेलू स्तर पर उत्पन्न लौह स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

vi. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाकर इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरूआत लागू करना। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम प्रयोक्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की स्थिति के अनुसार कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस इस्पात को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

*****